न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील सं. 2017/00225 (103/2017) 225 आर टी ए

बलवीरसिंह पुत्र भैरूराम जाति गुसाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

––अपीलांट

बनाम

1. हंसराज पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. गुरणरसिंह पुत्र कौरसिंह
3. नसीब कौर पत्नी साधुसिह
4. हरविन्द्रसिंह पुत्र साधुसिंह
5. लखविन्द्रसिंह पुत्र साधुसिंह
6. लखवीरसिंह पुत्र साधुसिंह
7. श्यामकौर पत्नी नत्थासिंह
8. बाबुसिंह पुत्र नत्थासिंह
9. गुड्डी पुत्री नत्थासिह
10. बलजीतसिंह पुत्र कम्बी पुत्री नत्थासिह
11. रमनदीपकौर पुत्री कम्बी पुत्री नत्थासिह
12. सुरेन्द्रसिंह पुत्र गुरदेवसिंह
13. पालकंवर पुत्री गुरदेवसिंह
14. पाल कंवर पुत्री गुरदेवसिंह
15. शानी पुत्री गुरदेवसिह
16. विरेन्द्रपाल सिंह पुत्र हरदेवहिस
17. नरेन्द्रपालसिंह पुत्र हरदेवसिंह
18. वीरसिह पुत्र कौरसिंह
19. बीकरसिंह पुत्र कौर सिंह

(क्रम सं. 2 से 19) जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

20. श्योलाल पुत्र उदाराम
21. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम
22. रामेश्वर पुत्र उदाराम
23. साहबराम पुत्र उदाराम

(क्रम सं. 20 से 23) जाति गुंसाई निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

24. हरीराम
25. श्रवण
26. मुखराम

(क्रम सं. 24 से 26) भादरराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

–रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 08.02.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर प्र0सं0 47/2015 अनवानी हंसराज बनाम गुरचरण आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1

निर्णय दिनांकः–24.04.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 14 केएनएन तहसील नोहर के प. नं. 310/372 (101) के किला नं. 1 व 10 के पश्चिम साइड में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि किला नं. 1 व 10 में पहले से कभी भी रास्ता चालू नहीं रहा है और न ही मौके पर चालू है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के किला नं. 1 व 10 में आवागमन करता आ रहा है। प्रश्नगत भूमि सह काश्तकारों की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है। किस सह काश्तकार की भूमि कम की जायेगी यह स्पष्ट रूप से निर्णय में अंकित नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा कोई मौका नहीं देखा गया। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। नियम 69 राजस्व मण्डल नियम 1955 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौका देखना अपेक्षित था जो नहीं देखा गया है। घरू बंटवारा में प. नं. 14 केएनएन तहसील नोहर के प. नं. 310/372 के मु. नं. 101 के किला नं. 1 व 10 के पश्चिम साइर्ड में मुताबिक घरेलू बंटवारा अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है तथा रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है इसलिए चक नं. 14 केएनएन तहसील नोहर के प. नं. 310/372 के मु. नं. 101 के किला नं. 1 व 10 में से पश्चिम तरफ एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत होने से अपीलाण्ट के खेत के दो टुकड़े हो जाएंगे और अपीलाण्ट को अपने खेत की सिचांई जुताई रखवाली आदि करने में असुविधा होगी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

रेस्पोडेण्ट को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होने के कारण रास्ता स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट ने अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। जिसपर विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार (भू0अ0) नोहर द्वारा आईएलआर की मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया है। रिपोर्ट अनुसार किला नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता है तथा इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के रकबा से नजदीक अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता नहीं है। रास्ते में आई भूमि के बदले में विचारण न्यायालय द्वारा भूमि दिये जाने का आदेश भी दिया है। जिससे रास्ते में आई भूमि की क्षतिपूर्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.02.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मूल चन्द)आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official